दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-04-2025

विषय सूची

लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

ग्रामीण विकास पर उच्चतम न्यायालय

केप टाउन कन्वेंशन

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति-2025

संक्षिप्त समाचार

छत्रपति शिवाजी महाराज

उत्तर सेंटिनल द्वीप

कच्चातीवु द्वीप

चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

सोनभद्र में फ्लोराइड प्रदूषण का संकट

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025

अयोग्यता पर SC की टिप्पणियाँ

भारत के 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में गिरावट

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया

संदर्भ

- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, जिसका नाम अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMEED) विधेयक रखा गया है, लोकसभा में पारित हो गया है।
    - मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करता है।

पृष्ठभूमि

- **2024 में पेश किए जाने वाले दो विधेयक:**
    - वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024।
    - मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024।
- **वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य:**
    - वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना।
    - वक्फ बोर्डों के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना।
- **मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य:**
    - मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना, जो औपनिवेशिक युग का एक प्राचीन कानून है।
    - वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्ति प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
    - पुराने कानून के निरंतर अस्तित्व से उत्पन्न हुई विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना।

'वक्फ' का अर्थ:

- इस्लामी कानून के अंतर्गत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है।
- संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध है।
- संपत्ति का स्वामित्व वक्फ (वाकिफ कहा जाता है) करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।
- निर्माता एक वाकिफ है, और संपत्ति का प्रबंधन एक मुतवल्ली द्वारा किया जाता है।

'वक्फ' की अवधारणा की उत्पत्ति:

- दिल्ली सल्तनत के समय से ही इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, जब सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को कई गाँव समर्पित किए थे।
- भारत में इस्लामी राजवंशों के उदय के साथ ही वक्फ संपत्तियों में भी वृद्धि हुई।
- 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था की रक्षा की।

संवैधानिक ढाँचा और शासन:

- धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएँ संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, जिससे संसद और राज्य विधानसभाएँ दोनों ही इस पर कानून बना सकती हैं।
- **वक्फ शासन:** वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जो 1913, 1923 और 1954 के पुराने कानूनों की स्थान ग्रहण करता है।
- **वक्फ का निर्माण:** इसके माध्यम से बनाया जा सकता है:
    - घोषणा (मौखिक या लिखित विलेख)।
    - धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भूमि का दीर्घकालिक उपयोग।
    - उत्तराधिकार की एक पंक्ति के अंत में बंदोबस्ती।
- **वक्फ संपत्तियों के सबसे अधिक हिस्से वाले राज्य:** उत्तर प्रदेश (27%), पश्चिम बंगाल (9%), पंजाब (9%)।
- **वक्फ कानूनों का विकास:**
    - **1913 अधिनियम:** वक्फ विलेखों को मान्य किया गया।
    - **1923 अधिनियम:** वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया।
    - **1954:** बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई।

- **1995 अधिनियम:** विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरणों की शुरुआत की गई तथा वक्फ बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों को शामिल किया गया।

प्रमुख संशोधन

- **केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना:** वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- **परिषद के सदस्यों में शामिल हैं:**
  - संसद सदस्य (सांसद)। राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति।
  - सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
  - मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान।
  - विधेयक में सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रख्यात व्यक्तियों के लिए मुस्लिम आवश्यकता को हटा दिया गया है।
  - विधेयक में परिषद में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य किया गया है।
- **वक्फ बोर्डों की संरचना:** राज्य सरकारों को प्रत्येक समूह से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार दिया गया है।
  - **गैर-मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता:** दो।
  - शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए। दो मुस्लिम महिला सदस्यों की आवश्यकता है।
- **न्यायाधिकरणों की संरचना:** मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष)। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।
- **न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील:**
  - **अधिनियम:** न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं, तथा न्यायालयों में अपील की अनुमति नहीं होती।
  - **विधेयक:** न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है।
- **संपत्तियों का सर्वेक्षण:** विधेयक सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करता है, जो वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की देखरेख करेंगे।
- **सरकारी संपत्ति के रूप में वक्फ:** विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी।
  - अनिश्चितता की स्थिति में क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेगा, यदि उसे सरकारी संपत्ति माना जाता है, तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा।
- **लेखा परीक्षा:** ₹1 लाख से अधिक आय वाले वक्फ संस्थानों का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।
- **केंद्रीकृत पोर्टल:** वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करने, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाएगा।
- **संपत्ति समर्पण:** प्रैक्टिसिंग मुस्लिम (कम से कम पाँच साल के लिए) वक्फ को संपत्ति समर्पित कर सकते हैं, जो 2013 से पहले के नियमों को पुनर्स्थापित करेगा।
- **महिलाओं की विरासत:** महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले विरासत मिलनी चाहिए, तथा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए।

विधेयक की आवश्यकता

- नए विधेयक में मुकदमेबाजी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की एकीकृत डिजिटल लिस्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है।
- यह विधेयक वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करने को अनिवार्य बनाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है।

चिंताएँ

- **वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य:** विधेयक में राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है।

- इससे इन निकायों में मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख धर्मावलंबियों के लिए इसी तरह के बोर्ड में मुख्य रूप से इन धर्मों के सदस्य होते हैं।

- **वक्फ न्यायाधिकरणों पर प्रभाव:** वक्फ न्यायाधिकरणों से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने से वक्फ से संबंधित विवादों के निवारण पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **वक्फ का निर्माण:** विधेयक वक्फ के निर्माण को उन लोगों तक सीमित करता है जो कम से कम पाँच वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।
  - पाँच वर्ष के इस मानदंड के पीछे तर्क स्पष्ट नहीं है और यह उन लोगों के बीच अंतर उत्पन्न करता है जो पाँच वर्ष से कम समय से इस्लाम का पालन कर रहे हैं और जो पाँच वर्ष से अधिक समय से इस्लाम का पालन कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- प्रस्तावित सुधार न केवल बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अधिक समावेशी दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे सभी संबंधित समुदायों को लाभ मिलता है।

Source: AIR

ग्रामीण विकास पर उच्चतम न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

- **बुनियादी ढाँचे पर ध्यान देना:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **बजटीय आवंटन:** इसने सुझाव दिया कि राज्य अपने बजट का कम से कम 10-15% ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए आवंटित करना, ताकि संसाधन वितरण में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर किया जा सके।
- **पुस्तकालय बनाम बुनियादी जरूरतें:** न्यायालय ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्त्व को स्वीकार किया और इस बात पर बल दिया कि तत्काल प्राथमिकताओं में भूख, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा को संबोधित करना शामिल होना चाहिए।

भारत में ग्रामीण परिदृश्य: ग्रामीण भारत में सकारात्मक परिवर्तन

- भारत में 6.65 लाख गाँव हैं, जिनमें 2.68 लाख ग्राम पंचायतें और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, जो देश के ग्रामीण परिदृश्य की रीढ़ हैं।
- **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट:** 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया (इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बच गए)।
- **ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी:** भारत में 954.40 मिलियन इंटरनेट ग्राहक थे (मार्च 2024)। इसमें से 398.35 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक थे।
- **आय वितरण (गिनी गुणांक):** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 22-23 में 0.266 से घटकर वित्त वर्ष 23-24 में 0.237 हो गया।
- **ग्रामीण मजदूरी वृद्धि:** श्रम ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण मजदूरी में प्रत्येक महीने साल-दर-साल 4% से अधिक की वृद्धि देखी गई:
  - कृषि मजदूरी में पुरुषों के लिए 5.7% और महिलाओं के लिए 7% की वृद्धि हुई।
  - गैर-कृषि मजदूरी में पुरुषों के लिए 5.5% और महिलाओं के लिए 7.9% की वृद्धि हुई।
- 2024 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) ग्रामीण शिक्षा में सुधार को दर्शाती है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और सीखने के परिणाम शामिल हैं,

जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और बड़े बच्चों के बीच डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है।

प्रमुख सरकारी पहल

- **ग्रामीण भारत में शिक्षा:**
  - **समग्र शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को एकीकृत करता है।
  - **मिड-डे मील योजना:** इसका उद्देश्य पोषण और उपस्थिति दर में सुधार करना है।
  - **डिजिटल इंडिया पहल:** ग्रामीण विद्यालयों में ई-लर्निंग और स्मार्ट कक्षाओं को बढ़ावा देना।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
- **ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता:**
  - **स्वच्छ भारत अभियान (G):** वर्तमान में चरण 2 में ODF स्थिति को बनाए रखने, 2024-25 तक ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने और सभी गाँवों को ODF से ODF प्लस मॉडल में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - अन्य योजनाओं में दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम, आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY), पोषण अभियान, जन औषधि योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) शामिल हैं।

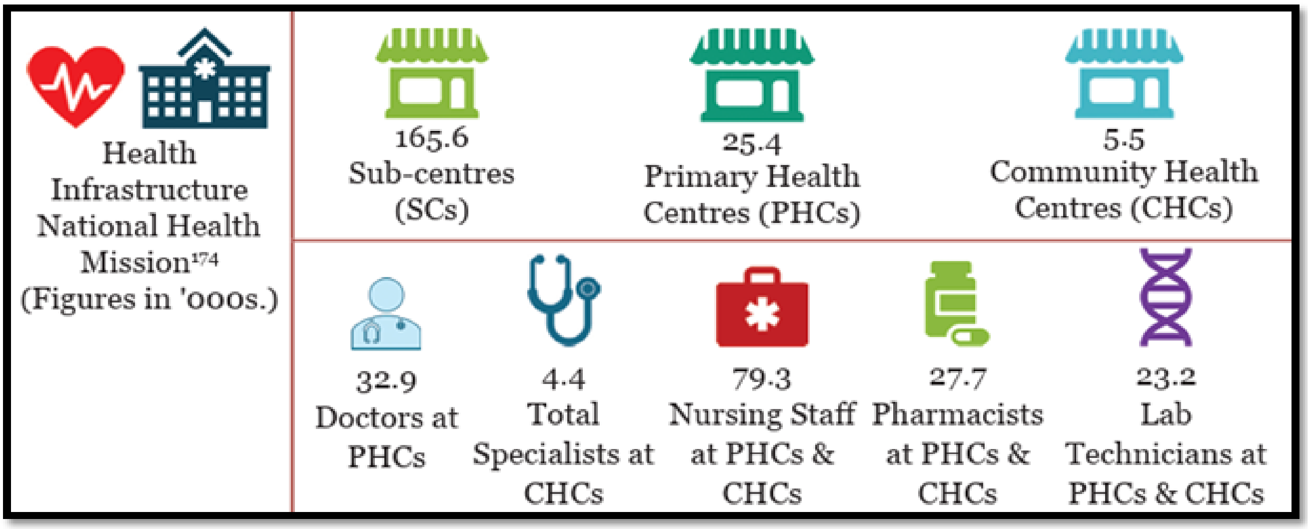

- **सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की बेहतरी के लिए:**
  - **जल आपूर्ति - जल जीवन मिशन (2028 तक विस्तारित):** नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव, जिसे 'जन भागीदारी' के रूप में जाना जाता है।
  - **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक:** 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवक।
  - **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) -** सड़कें: एक ही मौसम-अनुकूल सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) -** आवास

ग्रामीण विकास में चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएँ:** राज्य अक्सर सीमित बजट को व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में बाधा बताते हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** कई गाँवों में अभी भी स्वच्छ पेयजल, कार्यात्मक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- **नीतिगत फोकस का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लक्षित नीतियों की अनुपस्थिति ने असमान विकास और लगातार असमानताओं को जन्म दिया है।

आगे की राह

- **एकीकृत विकास दृष्टिकोण:** सरकारों को एक समग्र रणनीति अपनानी चाहिए जो सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को एक साथ संबोधित करे।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-लाइब्रेरी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थापना के लिए CSR निधि का लाभ उठाने का सुझाव दिया।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को विकास पहलों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाने से अधिक प्रभावी और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

Source: TH

केप टाउन कन्वेंशन

संदर्भ

- राज्य सभा ने 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025' पारित कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसका उद्देश्य विमानन वित्त को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कानूनी बल प्रदान करना है।
    - इसका उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली के अंदर केप टाउन कन्वेंशन और एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को लागू करना है।

केप टाउन कन्वेंशन क्या है?

- **परिचय:**
    - 2001 में अपनाए गए, मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर केप टाउन कन्वेंशन और इसके विमान प्रोटोकॉल को विमान, हेलीकॉप्टर और विमान इंजन जैसे उच्च मूल्य वाले मोबाइल उपकरणों के परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण एवं पट्टे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समान कानूनी ढाँचा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **कन्वेंशन के उद्देश्य:**
    - पट्टेदारों और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करना
    - डिफ़ॉल्ट के मामलों में कानूनी उपाय प्रदान करना
    - सीमा पार कानूनी जटिलताओं को कम करना
    - भुगतान विफल होने की स्थिति में विमान को तुरंत वापस लेना और उसका पंजीकरण रद्द करना
- **अनुसमर्थन:**
    - भारत ने 2007 में कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था, लेकिन अब तक इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई घरेलू कानून नहीं था।

विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025

- **विधेयक के मुख्य प्रावधान:**
    - **कानूनी प्रवर्तनीयता:** भारत में केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
    - **ऋणदाता उपाय:** चूक की स्थिति में, ऋणदाताओं या पट्टेदारों को दो महीने या आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर विमान का कब्ज़ा वापस लेने की अनुमति देता है।
    - **घरेलू रजिस्ट्री के रूप में DGCA :** विमान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय हितों और बकाया राशि के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को घरेलू रजिस्ट्री के रूप में नामित करता है।
    - **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** एयरलाइनों को प्रति विमान के आधार पर पट्टेदारों को बकाया राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए।
        - पट्टेदारों को भारत में अपने संचालन और हितों के बारे में डीजीसीए को सूचित करना चाहिए।
- **दिवालियापन परिदृश्यों में स्पष्टता:** ऐसी स्थितियों में पट्टेदारों को स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करता है जहाँ एयरलाइनें दिवालिया हो जाती हैं।

प्रभाव और लाभ

- इस कानून से यह उम्मीद की जा रही है कि:
    - लीजिंग लागत में 8-10% की कमी आएगी

- वैश्विक लीजिंग फर्मों को भारत से संचालन करने या भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- अधिक किफायती विमान वित्तपोषण के कारण समय के साथ हवाई किराए में कमी आएगी

Source: IE

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता

समाचार में

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA

- अप्रैल, 2022 में हस्ताक्षरित समझौते ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है, जिससे नए व्यापार मार्ग और व्यावसायिक अवसर सृजित हुए हैं।
- 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें 2022-23 की तुलना में ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 14% की वृद्धि हुई।
  - पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 4.4% की वृद्धि हुई।
- ECTA से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग शामिल हैं।
  - कैलक्लाइंड पेट्रोलियम कोक, उच्च क्षमता वाले डीजल जेनरेटिंग सेट और एयर लिक्विफैक्शन मशीनरी जैसी नई निर्यात लाइनें व्यापार के अवसरों का विस्तार दिखाती हैं।
- ऑस्ट्रेलिया से आयात में धातु अयस्क, कपास और लकड़ी के उत्पाद जैसे प्रमुख कच्चे माल शामिल हैं, जो भारतीय उद्योगों के विकास का समर्थन करते हैं।

राजनयिक संबंध

- ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1941 से चले आ रहे हैं, जब सिडनी में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोला गया था।
  - दोनों देश वार्षिक नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन और अक्सर बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत करते हैं (जैसे, क्वाड, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन)।
  - रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2+2 प्रारूप (विदेश और रक्षा मंत्री) की बैठकें प्रत्येक दो वर्ष में होती हैं।
  - विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता सालाना होती है।

लोगों से लोगों के बीच संपर्क

- लगभग 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई भारतीय मूल के हैं, जो विदेशों में जन्मे लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है।
- भारत ऑस्ट्रेलिया के कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्व संवाद और युवा संवाद जैसी सांस्कृतिक और सामुदायिक पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं संसाधन

- अक्षय ऊर्जा साझेदारी नवंबर 2024 में शुरू की गई थी और इसका ध्यान सौर, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर केंद्रित है।
- दोनों देश भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए हरित इस्पात और खनिजों के लिए नई आपूर्ति शृंखलाएँ विकसित कर रहे हैं।

रक्षा संलग्नता

- इसे 2020 के बाद आपसी रसद समर्थन समझौते और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के साथ बढ़ाया गया।
  - ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास की मेजबानी की, भारतीय नौसेना ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप का दौरा किया।

भविष्य का दृष्टिकोण

- ऑस्ट्रेलिया और भारत आपसी समृद्धि और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- इस साझेदारी के लगातार बढ़ने, आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने और मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने की संभावना है।

Source ;PIB

घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति-2025

समाचार में

- केंद्र ने इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान देते हुए DMISP नीति-2025 प्रस्तुत की है।

उद्देश्य एवं महत्त्व

- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना:** इसका प्राथमिक लक्ष्य "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप लौह और इस्पात के घरेलू उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करना है।
- **आयात पर अंकुश लगाना:** नीति का उद्देश्य इस्पात आयात की बढ़ती प्रवृत्ति को संबोधित करना है, जिसे सरकार भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए खतरा मानती है।
- **घरेलू उद्योग की रक्षा करना:** इसका उद्देश्य भारतीय इस्पात निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है, विशेषतः सरकारी अनुबंधों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में।
- **घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना:** नीति इस्पात निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामानों की स्थानीय सोर्सिंग बढ़ाने पर भी बल देती है।

DMI&SP नीति-2025 की मुख्य विशेषताएँ

- **घरेलू इस्पात को प्राथमिकता:** सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, ट्रस्टों और वैधानिक निकायों को स्थानीय रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद करनी चाहिए।
  - 5 लाख रुपये से अधिक के सभी खरीद अनुबंधों पर लागू होता है।
  - केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को शामिल करता है।
- **"पिघलाना और डालना" आवश्यकता:** उत्पादों को भारत के अन्दर पिघलाया जाना चाहिए और ठोस रूप में डाला जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुख्य उत्पादन घरेलू स्तर पर हो। इसमें फ्लैट-रोल्ड उत्पाद, बार, रॉड और रेलवे स्टील शामिल हैं।
  - **200 करोड़ रुपये से कम की कोई वैश्विक निविदा नहीं:** व्यय विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किए जाने तक 200 करोड़ रुपये से कम के अनुबंधों के लिए वैश्विक निविदा पूछताछ (GTE) प्रतिबंधित है।
- **पारस्परिक खंड:** ऐसे राष्ट्रों के आपूर्तिकर्ता जो भारतीय फर्मों को अपनी सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं, उन्हें भारत सरकार की इस्पात निविदाओं में बोली लगाने से रोक दिया जाएगा - जब तक कि इस्पात मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।
  - इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समान अवसर सुनिश्चित करना है, जिसमें चीन को प्राथमिक लक्ष्य माना जा रहा है।
- **घरेलू मूल्य संवर्धन पर बल :** इस्पात उत्पादन (जैसे, भट्टियाँ, रोलिंग मिल) में उपयोग किए जाने वाले पूँजीगत सामानों के लिए, न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन अनिवार्य है।
  - बोलीदाताओं को स्वयं प्रमाणित करना होगा, झूठे दावों के साथ ब्लैकलिस्ट किए जाने और बयाना राशि जब्त किए जाने का जोखिम है।
  - पूंजीगत सामानों के लिए मूल्य सीमा को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षक प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

Source: BL

संक्षिप्त समाचार

छत्रपति शिवाजी महाराज

संदर्भ

- 3 अप्रैल को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है।

छत्रपति शिवाजी महाराज (1630-1680)

- **जन्म:** शिवाजी भोसले के रूप में जन्मे, वे अपने प्रगतिशील नेतृत्व, सैन्य रणनीतियों और स्वराज्य (स्व-शासन) के लिए लड़ाई के लिए व्यापक रूप से पूजनीय हैं।
- वे तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास जैसे महाराष्ट्र के संतों से प्रभावित थे, जिन्होंने सामाजिक समानता और आध्यात्मिक जागृति का समर्थन किया।
- **राज्याभिषेक (1674):** उन्होंने रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक किया, जो 'राज्याभिषेक युग' की शुरुआत थी।
- **प्रशासनिक सुधार:** शासन में सहायता के लिए अष्ट प्रधान मंडल (आठ मंत्रियों की एक परिषद) की स्थापना की।
  - प्रत्यक्ष कराधान सुनिश्चित करने के लिए जागीरदारी प्रणाली को रैयतवारी प्रणाली से बदलकर राजस्व प्रणाली में सुधार किया।
- **सैन्य और नौसेना शक्ति:** मुगलों, बीजापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन और संघर्ष में लगे रहे।
  - व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने और यूरोपीय प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक मजबूत नौसेना बल का निर्माण किया।

विरासत

- भारतीय नौसेना के INS शिवाजी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल- छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था) का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
- 1890 के दशक में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी के उदाहरण को अनुकरण के लिए प्रस्तुत करके युवा महाराष्ट्रियों के बीच राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए शिवाजी उत्सव की शुरुआत की।
- भारतीय नौसेना का नया पताका और एडमिरल के कंधे के टुकड़े का नया डिज़ाइन महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है।

Source: IE

उत्तर सेंटिनल द्वीप

समाचार में

- एक अमेरिकी नागरिक को अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो विश्व की अंतिम संपर्कविहीन जनजातियों में से एक का निवास स्थान है।

परिचय

- **स्थान:**
  - बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
  - भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले का हिस्सा।
  - पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किमी पश्चिम में स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - कोरल रीफ़ से घिरा हुआ है, जिससे समुद्री पहुँच बेहद मुश्किल हो जाती है।
  - सफेद रेत वाले समुद्र तटों, मैंग्रोव वनों और घने उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से घिरा हुआ है।
  - 2004 के हिंद महासागर भूकंप ने द्वीप को ऊपर उठा दिया, जिससे और अधिक कोरल रीफ़ सामने आ गए, जिससे इसका भूभाग फैल गया।
- **सेंटिनलीज़ - स्वदेशी निवासी:**
  - पृथ्वी पर संपर्क से दूर रहने वाले अंतिम लोगों में से एक।
  - बाहरी संपर्क को अस्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं; घुसपैठियों के प्रति आक्रामक।
  - शिकारी-संग्राहक के रूप में रहते हैं, धनुष, तीर, भाले और डोंगी का उपयोग करते हैं।
  - जनसंख्या का आकार (अनुमानित 50-150)।

- **कानूनी संरक्षण और शासन:**
  - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956:** द्वीप के 5 समुद्री मील (9 किमी) के अन्दर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाता है।
    - रक्षात्मक आक्रामकता के लिए सेंटिनली लोगों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
  - **प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RAP):** 29 द्वीपों के लिए 2018 में RAP की आवश्यकता को रद्द कर दिया गया था, लेकिन उत्तरी सेंटिनल अभी भी प्रतिबंधित है।
    - पर्यटन, फिल्मांकन, मछली पकड़ने या यात्रा की अनुमति नहीं है।

Source: TH

कच्चातीवु द्वीप

समाचार में

- तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप वापस लेने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
  - क्योंकि यह तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा और श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाइयों के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

कच्चातिवू

- कच्चातीवु एक छोटा, निर्जन द्वीप है जो पाक जलडमरूमध्य में लगभग 285 एकड़ में फैला हुआ है, तथा भारत के तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के बीच स्थित है।

- यह डेल्फ़्ट द्वीप से 14.5 किमी दक्षिण में और रामेश्वरम से लगभग 16 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- यह द्वीप बंजर है, यहाँ पीने के पानी या बुनियादी ढाँचे की कमी है, सिवाय सेंट एंथोनी को समर्पित एक कैथोलिक चर्च के।

विवाद

- इसकी शुरुआत 1921 में मद्रास एवं सीलोन की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारों के बीच हुई थी और इसे 1974 और 1976 में भारत तथा श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षरित दो द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से सुलझाया गया था।
- इन समझौतों ने स्थापित किया कि कच्चातीवु श्रीलंका का हिस्सा है और दोनों देशों के बीच समुद्री सीमाओं को परिभाषित किया, जिसमें उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZs) भी शामिल हैं।
- समझौते ने भारतीय मछुआरों को वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव के लिए कच्चातीवु जाने की अनुमति दी, लेकिन श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया।

क्या आप जानते हैं ?

- इन समझौतों से भारत को श्रीलंका के साथ कूटनीतिक लाभ मिला, विशेषतः ऐसे समय में जब श्रीलंका चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने कन्याकुमारी के पास वेड्ज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त किया, जिसमें बहुमूल्य समुद्री संसाधन हैं।

सरकार का दृष्टिकोण

- केंद्र सरकार ने लगातार भूमि अधिग्रहण की माँग को खारिज किया है और तर्क दिया है कि 1974 और 1976 के समझौतों ने मामले को सुलझा दिया है तथा कच्चातीवु अब पूरी तरह से श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है।
- यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय में अभी भी अनसुलझा है और केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी भारतीय क्षेत्र श्रीलंका को नहीं दिया गया है।

Source :TH

चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भ

- चिली के राष्ट्रपति राजनयिक संबंधों के 76 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।

मुख्य चर्चाएँ:

- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (2017) के विस्तार पर प्रकाश डाला गया। दोनों नेताओं ने आर्थिक एकीकरण को गहरा करने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए वार्ता शुरू की।
- **खनन और महत्त्वपूर्ण खनिज:** उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग पर चर्चा की।
  - CODELCO (चिली की राष्ट्रीय कॉपर कॉर्पोरेशन) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ।
  - विश्व की सबसे बड़ी कॉपर उत्पादक कंपनी CODELCO का लक्ष्य भारत में अपने बाजार का विस्तार करना और चीन पर निर्भरता कम करना है।
- **अंटार्कटिक सहयोग:** अंटार्कटिक सहयोग और वैज्ञानिक आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

चिली के बारे में

चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक लंबा, संकरा देश है।

इसकी तटरेखा 6,437 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ़ 91 किलोमीटर है।

केप हॉर्न: दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित, केप हॉर्न तेज़ हवाओं और ख़तरनाक लहरों के लिए जाना जाता है।

- विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा रेगिस्तान है, जो उत्तरी चिली में स्थित है।
- चिली एक अत्यधिक भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र में स्थित है, जो प्रशांत रिंग ऑफ़ फ़ायर का हिस्सा है, जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट में नाज़का और अंटार्कटिक प्लेटों के सबडक्शन के कारण है।
- एस्कोन्डिडा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है, जो वैश्विक आपूर्ति का 5% से ज़्यादा उत्पादन करती है।
- चिली लिथियम जैसे खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है।

Source: PIB

सोनभद्र में फ्लोराइड प्रदूषण का संकट

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के भूजल में फ्लोराइड विषाक्तता की घटनाएँ देखी गईं।
  - प्रदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना अधिक है।

फ्लोराइड के बारे में

- फ्लोराइड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है जो खनिजों, मृदा , जल और वायु में पाया जाता है।
- यह कोयले की ईंटों के जलने के दौरान भी निकलता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीने के पानी में फ्लोराइड का अधिकतम सुरक्षित स्तर 1.5 मिलीग्राम/लीटर निर्धारित किया है।
- सुरक्षित मात्रा में, फ्लोराइड दांतों की सड़न को रोकने और हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने में सहायता करता है।
- अत्यधिक मात्रा में, यह दंत और कंकाल फ्लोरोसिस, जोड़ों के दर्द और कठोरता और हड्डियों की विकृति का कारण बनता है। यह वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए भी जोखिम उत्पन्न करता है।

Source: IE

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025

संदर्भ

- नीति आयोग ने प्रेस सूचना ब्यूरो के सहयोग से राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 जारी किया है।

परिचय

- FHI पहल भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करती है।
- विश्लेषण में 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **उप सूचकांक:** व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।
- सूचकांक के लिए डेटा 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से प्राप्त किया गया है।

States have been classified on the basis of the FHI score as per below categories
FHI scores have been rounded off to the nearest number for the below classification

Above 50	Achiever
Greater than 40 & less than equal to 50	Front Runner
Greater than 25 & less than equal to 40	Performer
Less than equal to 25	Aspirational

निष्कर्ष

- FHI में ओडिशा प्रथम स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं।
- राज्यों का सार्वजनिक व्यय में लगभग दो-तिहाई और कुल राजस्व में एक-तिहाई हिस्सा है, जो देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।
- **ऋण संबंधी चिंताएँ:** पश्चिम बंगाल और पंजाब बढ़ते ऋण भार और बढ़ते ऋण-से-GSDP अनुपात का सामना कर रहे हैं।

Achiever	Front Runner	Performer	Aspirational
Odisha (1)	Maharashtra (6)	Tamil Nadu (11)	Kerala (15)
Chhattisgarh (2)	Uttar Pradesh (7)	Rajasthan (12)	West Bengal (16)
Goa (3)	Telangana (8)	Bihar (13)	Andhra Pradesh (17)
Jharkhand (4)	Madhya Pradesh (9)	Haryana (14)	Punjab (18)
Gujarat (5)	Karnataka (10)		

Source: PIB

अयोग्यता पर SC की टिप्पणियाँ

समाचार में

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के 10 विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही में देरी के संबंध में याचिकाओं पर विचार किया, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे।

अयोग्यता संबंधी कानून के बारे में

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत विधानमंडल के वर्तमान सदस्यों की अयोग्यता तय की जाती है।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इस घोषणा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह तय करना होगा कि कोई वर्तमान सदस्य दोषसिद्धि के कारण अयोग्य है या नहीं।

- किसी मौजूदा सदस्य को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में विभिन्न अपराधों की सूची दी गई है, जिनके लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता हो सकती है, जिसमें दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी, बलात्कार और भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च् न्यायलय के 2013 के लिली थॉमस निर्णय ने आरपी अधिनियम की धारा 8(4) को खारिज कर दिया, जिसके अंतर्गत किसी वर्तमान सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने से पहले अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता था।
    - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि संसद वर्तमान सदस्यों के लिए विशेष प्रावधान नहीं कर सकती, क्योंकि उम्मीदवार और वर्तमान सदस्य दोनों ही अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अयोग्य ठहराए जाने के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं।

नवीनतम घटनाक्रम

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि स्पीकर दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के उद्देश्य को कमज़ोर करने के लिए अनिर्णय का उपयोग नहीं कर सकते हैं और ऐसी स्थितियों में अदालतें शक्तिहीन नहीं हैं।
    - हालाँकि कोर्ट स्पीकर को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह कैसे फ़ैसला करे, लेकिन वह यह आदेश दे सकता है कि अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा उचित समय-सीमा के भीतर किया जाए।
- उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इसी तरह के मामलों में हस्तक्षेप करके स्पीकर को लंबे समय से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फ़ैसला करने के लिए मजबूर किया है।

क्या आप जानते हैं?

- दसवीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विधायकों के दलबदल के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था, जिसके कारण प्रायः निर्वाचित सरकारें गिर जाती थीं।
- कानून में उन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ते हैं या अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करते हैं।
- प्रारंभ में, अनुसूची में अपवादों की अनुमति थी, जैसे कि यदि किसी पार्टी के एक-तिहाई सदस्य अलग हो जाते हैं या यदि कोई पार्टी अपने दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेती है। हालाँकि, कानून को मजबूत करने के लिए 2003 में विभाजन की अनुमति देने वाले प्रावधान (पैरा 3) को हटा दिया गया था।

Source :TH

भारत के 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में गिरावट

संदर्भ

- अप्रैल में RBI द्वारा 80,000 करोड़ रुपये मूल्य के बांड खरीदने की घोषणा के बाद भारत के बेंचमार्क 10-वर्षीय बांड का प्रतिफल साल-दर-साल आधार पर 9 आधार अंकों (bps) की तीव्र गिरावट के साथ 6.49% पर आ गया।

परिचय

- **भारतीय बॉन्ड यील्ड:** मार्च से भारतीय बॉन्ड यील्ड में 24 bps की गिरावट आई है।
    - वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 10 वर्ष की यील्ड में 62 bps की गिरावट आई है, जो पिछले पाँच वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है।

- **भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की तरलता:** भारत में बेहतर तरलता के कारण बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, ट्रेजरी बिल कट-ऑफ 6.30% के करीब है।
  - तरलता के आधार पर 10 वर्ष की बॉन्ड यील्ड में और गिरावट आने की संभावना है।

बॉन्ड यील्ड क्या है?

- बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जिसकी उम्मीद निवेशक बॉन्ड से कर सकता है, जिसे वार्षिक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- **बॉन्ड यील्ड के प्रकार:**
  - **वर्तमान यील्ड:** वार्षिक कूपन भुगतान को बॉन्ड के वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है।
  - **परिपक्वता पर यील्ड (YTM):** यदि बॉन्ड को परिपक्वता तक रखा जाता है तो कुल रिटर्न, जिसमें कूपन भुगतान और कोई पूंजीगत लाभ/हानि शामिल है।
  - **कॉल पर यील्ड (YTC):** यह मानते हुए यील्ड कि बॉन्ड को परिपक्वता से पहले बुलाया जाता है (जल्दी भुनाया जाता है)।
  - **सबसे खराब यील्ड (YTW):** यदि बॉन्ड को जल्दी बुलाया जाता है या परिपक्व होता है तो सबसे कम यील्ड संभव है।
- **बॉन्ड मूल्य संबंध:** मूल्य और यील्ड विपरीत रूप से संबंधित हैं और जैसे-जैसे बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, इसकी यील्ड कम होती जाती है।
- **संकेतक:** बॉन्ड यील्ड निवेश पर रिटर्न को दर्शाती है और ब्याज दरों और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती है।

Source: IE

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

समाचार में

- भारत में विनिर्माण गतिविधि में मार्च 2025 में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जिसमें मौसमी समायोजित क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) 58.1 पर पहुँच गया, जो आठ महीनों में सबसे अधिक है, जबकि फरवरी में यह 56.3 था।
  - यह वृद्धि मुख्य रूप से नए ऑर्डरों में वृद्धि के कारण हुई, जिसमें नए ऑर्डर सूचकांक आठ महीने के उच्चतम स्तर 61.5 पर पहुँच गया।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI)

- PMI मुख्य रूप से विभिन्न देशों में उत्तरदाताओं के मासिक सर्वेक्षणों के माध्यम से विनिर्माण, सेवाओं और समग्र व्यावसायिक गतिविधि सहित किसी देश के क्षेत्रों की स्थिति को मापता है।
- यह एक प्रकार का आर्थिक संकेतक है जिसे S&P ग्लोबल, HSBC और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख कंपनियों के डेटा का उपयोग करके संकलित किया जाता है।
- सूचकांक 0 से 100 के बीच बदलता रहता है; 50 से ऊपर का पढ़ना प्रगति का संकेत है, जबकि 50 से नीचे का पढ़ना समग्र उत्पादन गतिविधि में गिरावट दर्शाता है।

Source :TH